न्यायालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या 26/74 सन 2026

(CNR No. UPFT-01001028 2026)

रमेश चन्द्र– बनाम –महावीर आदि

17.07.2026–

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र 13ग2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक रमेशचन्द्र की ओर से प्रार्थनापत्र 13ग2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र 14ग2 प्रस्तुत कर सिविल निगरानी योजित करने में कारित विलम्ब को क्षमा करने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि आदेश दिनांक 15.11.2025 होने के पश्चात आवेदक सर्दी व बुखार से पीडित होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण आदेश की नकल हेतु आवेदन दिनांक 30.01.2026 को किया, किन्तु दिनांक 01.2.2026 को पैर में मोच आने व अत्यधिक सूजन व दर्द के कारण घरेलू इलाज कराता रहा और दिनांक 27.2.2026 को निगरानी दाखिल किया। आवेदक ने जानबूझकर की कोई देरी नहीं की है। अतएव विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 24ग2 प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों पर आधारित है तथा विरोधाभाषी है। इसलिए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। मुंसरिम आख्या के अनुसार सिविल अपील प्रस्तुत करने में 08 दिन का विलम्ब कारित हुआ है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रस्तुत सिविल निगरानी मात्र 08 दिन विलम्ब से योजित की गयी है। प्राकृतिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए मामले को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना न्यायसंगत होगा। इस बिन्दु पर मैने **कलेक्टर लैंड इक्वीजशिन अनंतनाग व अन्य बनाम एम कटीजी व अन्य ए०आई०आर० 1987 सुप्रीम कोर्ट 1351 तथा रामनाथ साओ उर्फ रामनाथ साहू व अन्य बनाम गोवर्धन साओ ए०आई०आर० 2002 (एस०सी०) एवं सैनिक सिक्योरिटी बनाम शीलाबाई 2008**

(71) ए०एल०आर० 302(एस०सी०) की विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विलम्ब क्षमा किये जाने के प्रार्थनापत्र का निस्तारण उदारतापूवर्क किया जाना चाहिए जब तक कि आवेदक का जानबूझकर उपेक्षा कारित किये जाने का उद्देश्य न हो।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथन शपथपत्र से समर्थित है। सिविल रिवीजन योजित किये जाने में जो विलम्ब किया गया है, उसका विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रार्थनापत्र/शपथपत्र में उल्लिखित है। प्रस्तुत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थनापत्र 13ग2 समुचित हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 13ग2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मु०–250/–रुपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अन्दर 10 दिवस अदा किया जाय, निर्धारित अवधि में हर्जा अदा न किये जाने की दशा में यह आदेश स्वत: निष्प्रभावी हो जायेगा। आवेदक द्वारा सिविल निगरानी योजित करने में कारित हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। सिविल रिवीजन अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 को पेश हो।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.17 16:16:07 +05'30'

जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।
17.07.2026